FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...सहायक कलक्टर (SDO)... मुकाम ...बायतु...

...रामकुमार सिंह... बनाम ...ग्रा०प० सवाऊ मूलराज [illegible]...

किस्म मुकदमा ...75 RLR act... नं. ...02/2021... सन् ...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ...रुघाराम सिहाग... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा ...75 RLR act... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...04/05/2021... को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/05/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 22/09/2021 को पेश हो/	
22/09/2021	अपीलान्ट के वकील उपस्थित/उत्तरदातागणों के नोटिस तामील बाद तामील मयाद/ इन्तजार होकर ... 21/10/2021 को पेश हो/ सहायक कलक्टर (SDO)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपख
(पीठासीन
अपीलांट
1. राजकुमारसिंह पुत्र गजे
राजपूत निवासी चारा
तहसील पिंडा

21/10/2021

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आयडु चिमनजी में रखी गई। अपीलान्ट के वकील उपस्थित। उत्तरदाता गण संख्या-2 की ओर से वकील श्री रेवताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अव-लोकन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुनाए होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

अपील सख्या – 02/2021

अपीलांट	बनाम	उतरदाता
1. राजकुमारसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।		1. ग्राम पंचायत सवाउ मूलराज 2. उम्मेदसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा 3. तहसीलदार गिड़ा

दिनांक :– 21 /10/2021

–: आदेश :–

अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–05/06.11.1995 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 93 रकबा 117.07 बीघा में फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 05/16.11.1995 ऑनलाईन दायर करते समय अपीलांट का नाम राजकुमारसिंह के स्थान पर खमाणसिंह फीड हो गया एवं नामान्तरकरण जांच होकर, ग्राम पंचायत सवाउ मूलराज ने स्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर उक्त आराजी में खुमाणसिंह के नाम के स्थान पर राजकुमारसिंह शुद्व करने का निवेदन किया है।

उत्तरदातागण संख्या 2 के द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश कर अपीलांट का नाम खमाणसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान की गई। अपीलांट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में खमाणसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 05/06.11.1995 को खारिज किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को प्रतिप्रेषित कर ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 93 रकबा 117.07 बीघा में खमाणसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह पुत्र गजेसिंह व उत्तरदातागण संख्या 2 उम्मेदसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीशसिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु